उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 842/VII-1/2016/24–ख/2007
देहरादूनः दिनांकः 19 मई, 2016

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या–211/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम–21) के क्रमांक–8 में विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, की रायल्टी की दर को निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

वर्तमान प्रावधान		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान	
खनिज का नाम	**रायल्टी की दर**	**खनिज का नाम**	**प्रतिस्थापित रायल्टी की दर एवं निर्धारित नदी तल (धनराशि ₹ में)**
8. विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	194.50 प्रति घनमीटर अर्थात् 8.85 प्रति कुन्टल।	8. विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	I. ₹ 8.50 प्रति कुन्टल अर्थात् ₹ 187.00 प्रति घनमीटर (गौला नदी) II. ₹ 8.00 प्रति कुन्टल अर्थात् ₹ 176.00 प्रति घनमीटर (कोसी, दाबका नदी) II. ₹ 7.00 प्रति कुन्टल अर्थात् ₹ 154.00 प्रति घनमीटर (हरिद्वार एवं अन्य स्थान)

2. उक्तानुसार रायल्टी की संशोधित दरें, आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी। इसका पूर्वागामी प्रभाव नहीं होगा।

3. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016 में उपरोक्तानुसार किये गये आंशिक संशोधन के उपरान्त नियमावली के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव